



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार 8 नवम्बर, 2021

कार्तिक 17, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या 2200/ई-2/तेरह-2021-03-2014

लखनऊ, 3 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-82

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (ड) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल आबकारी, नमक, अफीम, भू-राजस्व और पुलिस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्रयोग करने हेतु शक्तियां विनिहित करती हैं और निष्पादन करने हेतु कर्तव्य अधिरोपित करती हैं :-

1-धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (छ) और (झ) के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में, प्रान्तीय चौकीदारी बल, कस्बा, ग्राम और सड़क चौकीदारों सहित आबकारी, नमक, अफीम, भू-राजस्व के समस्त अधिकारी और समस्त पुलिस अधिकारी, धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन अपराधों के संबंध में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित चेक पोस्टों एवं सचल दस्तों के प्रभारी अधिकारी।

2-धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) अथवा (ज) के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में 20 रुपये प्रतिमाह अथवा उससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले आबकारी, नमक, अफीम और भू-राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी, समस्त पुलिस थाना प्रभारी और उप निरीक्षक अथवा उससे उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारी।

3-धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक और उससे उच्च श्रेणी के समस्त अधिकारी और पुलिस विभाग के उप निरीक्षक और उससे उच्च श्रेणी के समस्त अधिकारी।

4-धारा 65 के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक और उससे उच्च श्रेणी के समस्त अधिकारी।

यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

No. 2200/E-2/Terah-2021-03-2014

Dated Lucknow, November 3, 2021

In exercise of the powers under clauses (c) and (e) of sub-section (2) of section 10 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910), the Governor is pleased to invest the following officers of the Excise, Salt, Opium, Land Revenue and Police Departments with the powers and impose upon them the duties under section 50 of the aforesaid Act to be exercised or performed by them within the local limits of their respective jurisdiction:-

1. All officers of the Excise, Salt, Opium, Land Revenue and all Police Officers including the Provincial Chaukidari Force, Town, Village and Road Chaukidars in respect of offences punishable under clauses (a), (g) and (i) of sub-section (1) of section 60 and officers in charge of check posts and mobile squads established under the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948, in respect of offences under clauses (a) and (g) of sub-section (1) of section 60.

2. All officers of the Excise, Salt, Opium and Land Revenue Departments in receipt of a salary of or over Rs. 20 a month, all Police Officers in charge of police stations and Police Officers of or above the rank of a Sub-Inspector in respect of offences punishable under clauses (b), (c), (d), (e), (f) or (h) of sub-section (1) of section 60.

3. All officers of the Excise Department of and above the rank of an Excise Inspector and all officers of the Police Department of and above the rank of Sub-Inspector in respect of offences punishable under sub-section (2) of section 60.

4. All officers of the Excise Department of and above the rank of an Excise Inspector in respect of offences punishable under section 65.

It shall come in force with immediate effect.

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 394 राजपत्र-2021-(886)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी-ए०पी० 10 सा० आबकारी-2021-(887)-100 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।